

संदर्भ: पी.एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई./2022/1737

दिनांक: 25.05.2022

सेवामें,

श्री धर्मेन्द्र सिंह

सी ओ ऑफिस के बराबर में,

तहसील- गढ़मुक्तेश्वर

जिला - हापुड़ (उ०प्र०)

विषय : जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन आपके अपील पत्र दिनांक 13.05.2022 के संदर्भ में।

महोदय,

आपके अपील पत्र दिनांक 13.05.2022 जो कि प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय में दिनांक 19.05.2022 को प्राप्त हुआ। अपील पत्र के माध्यम से आपने अपने आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022 जो कि पोस्टल ऑर्डर न.56F 937233 के साथ भेजा है, के अनुसार बिंदुवार जानकारी चाही है। इस अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारी के दिशानिर्देशानुसार बिंदुवार जानकारी निम्न है:

बिंदु न.	बिंदु द्वारा मांगी गई जानकारी	PMSTL द्वारा दी गई जानकारी
1	यह कि मुरादनगर सिम्भावली ट्रांसमिशन 400 के०वी० पारेषण लाइन निर्माण हेतु टावर निर्माण के समय जो कटाव के लिए प्रतिबंधित पेड़ आम, नीम, शीशम, सागोन, खैर आदि पेड़ जो कट चुके हैं जिन्हें काटने की परमिशन वन विभाग से ली गयी है किसानों का नाम पेड़ों की संख्या और खसरा न० सहित सूची प्रदान करें।	निर्माण के समय कोई भी प्रतिबंधित पेड़ नहीं कटे गये हैं।
2	यह की अब वर्तमान में कितने प्रतिबंधित पेड़ कटाव के लिए लाइन के निचे और R.O.W के अंतर्गत आते हैं। कृषकों के नाम पेड़ों की संख्या और खसरा न० सहित सूची प्रदान करें।	अभी काटने वाले पेड़ों की सूची का आंकलन किया जा रहा है।

3	यह की कितने पेड़ इपिल पापुलर, युकेल्युप्टस, बकायन आदि के अप्रतिबंधित जो लाइन निर्माण हेतु टावर लगते समय कट चुके हैं या वर्तमान में लाइन के नीचे R.O.W के अंतर्गत आते हैं जिन्हें कटा जायेगा की सूची किसानों के नाम पेड़ों की संख्या उनकी उम्र और खसरा संख्या उनकी उम्र और खसरा न० सहित बताने का कष्ट करें।	जिनका नोटिस कट चूका है उनकी सूची संलग्न है और बचे हुए हिस्से में कटने वाले पेड़ों का आंकलन किया जा रहा है।
4	यह कि प्रतिबंधित पेड़ काटने हेतु जो परमीशन वन विभाग द्वारा दी गयी उसकी प्रतिलिपि प्रदान करें।	सूची का आंकलन किया जा रहा है।
5	यह कि यदि बिना अनुमति प्रतिबंधित पेड़ों को काटने हेतु कोई शासनादेश आपके पास है तो उसकी प्रतिलिपि प्रदान करने का कष्ट करें।	बिना अनुमति के कोई भी पेड़ नहीं काटा गया है।

जानकारी: भारत का राजपत्र, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (नई दिल्ली) की अधिसूचना दिनांक 20.09.2010 जो कि उद्धृत किया गया है, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे इस वेबसाइट से कोई भी डाउनलोड कर सकता है। अतः आप भी उक्त वेबसाइट से इसे डाउनलोड कर सकते हैं।

धन्यवाद।

भवदीय



[ए.अहमद]

सी. ई. ओ. एवं पदनामित सी. पी. आई. ओ.
पी.एम.एस.टी.एल, मेरठ

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लाट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड

नोटिस संख्या : 3755

दिनांक : 22/11/21

बुक संख्या : 86

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

लाईन / सेक्शन का नाम :

सेवा में, जरा अहमद

नाम जरा अहमद

गाँव SAROORPUR

जिला MAPUR

पिन कोड 245207

मोबाइल संख्या 9837893151

पिता/पति का नाम KALWA

ब्लॉक/तहसील GARN MUKTESHWAR

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण : JARAR AHMED

लामार्थी का नाम : JARAR AHMED

मालिक/किराएदार/साझा काश्त

पिता/पति का नाम : KALWA

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या : 493

फसल का विवरण :

फसल का नाम

क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)

कार्य फा./ई./स्ट्रि.

टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.

लोकेशन/सेक्शन

पेड़ की प्रजाति

अनुमानित आयु (वर्ष)

मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)

पेड़ की ऊँचाई

संख्या

कार्य फा./ई./स्ट्रि.

टिप्पणी

1. 69/0-69/1 चौफलर 25 80-90cm 13m 10 स्ट्रिगिंग

2. किशक 30 70-80cm 12m 10 स्ट्रिगिंग

3.

4.

5.

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है। वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत जरा अहमद

(हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लामार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड
3758

86

नोटिस संख्या :

बुक संख्या :

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

दिनांक : 17-11-2021

लाईन / सेक्शन का नाम :

सेवा में,

नाम रुक्मिणी देवी

पिता/पति का नाम रामदास

गाँव सरोवरपुर

पोस्ट ऑफिस

ब्लॉक/तहसील हाथुड़

जिला हाथुड़

पिन कोड

मोबाइल संख्या 9897199021

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयत्न किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राज प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण :

गाँव का नाम : सरोवरपुर

लाभार्थी का नाम :

मंडल/तहसील/सर्कल : हाथुड़

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

जिला का नाम : हाथुड़

पिता/पति का नाम :

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या : 496

लाभार्थी की आधार संख्या : 35993989008

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./सिद्ध.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./सिद्ध.	टिप्पणी
1.	69/1-70/0	पोपलर		80-90 CM		65	टिप्पणी	
2.	69/1-70/0	पोपलर		70-80 CM		20	टिप्पणी	
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।
वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

(हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड

नोटिस संख्या : 3770

दिनांक : 17/01/2022

बुक संख्या : 86

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

लाईन / सेक्शन का नाम : 400KV MRD-SIM.TL

सेवा में, 4

नाम, जावत राम

गाँव, अररुय

जिला, हाथरस

पिता/पति का नाम, जयम सिंह

ब्लॉक/तहसील, जग

पोस्ट ऑफिस, अररुय

पिन कोड, 245207

मोबाइल संख्या, 9871786648

विद्युत अधिनियम 2003 को धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेंगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्लू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण :

लामार्थी का नाम :

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

पिता/पति का नाम :

गांव का नाम :

मंडल/तहसील/सर्कल :

जिला का नाम :

लामार्थी की आधार संख्या : 333524224

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या : 798

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.	71/0-72/0	पापल		98cm	18m	07		
2.				100cm	18m	02		
3.				75cm	18m	04		
4.				70cm	18m	03		
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

(हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लामार्थी/प्रतिनिधि)

प्रतिलिपि : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्राथमिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्त)

नाम व मोहर

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ



पावरग्रिड

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।

बुक संख्या : 86

नोटिस संख्या : 3756

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

दिनांक : 22/11/21

लाईन / सेक्शन का नाम :

सेवा में,

नाम मेरवान पिता/पति का नाम KALE KWA

गाँव SAROORPUR पोस्ट ऑफिस ब्लॉक/तहसील GARN MUKTESHWAR

जिला HAPUR पिन कोड 245207 मोबाइल संख्या 9837893151

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 184 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू. में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण : MEHARBAN

गांव का नाम : SAROORPUR

लाभार्थी का नाम :

मंडल/तहसील/सर्कल : GARN MUKTESHWAR

पालिक/किराएदार/साझा काश्त)

जिला का नाम : HAPUR

पिता/पति का नाम : KALE KWA

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या : 356

लाभार्थी की आधार संख्या : 340978567242

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./रिट्ट.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./रिट्ट.	टिप्पणी
1.	<u>6510-6511</u>	<u>सिपल</u>	<u>20</u>	<u>80-90cm</u>	<u>20m</u>	<u>07</u>	<u>रिट्टिंग</u>	
2.								
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।
वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

(हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ



पावरग्रिड

86

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।

नोटिस संख्या : 3762

दिनांक : 19-11-2021

बुक संख्या :

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

लाईन / सेक्शन का नाम :

सेवा में,

नाम

श्री उमर

पिता/पति का नाम

श्रीहाक

गाँव

सारपुर

पोस्ट ऑफिस

ब्लॉक/तहसील राट मुक्तेश्वर

जिला

पिन कोड

मोबाइल संख्या

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण :

लामार्थी का नाम :

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

पिता/पति का नाम :

गांव का नाम :

सारपुर

मंडल/तहसील/सकल :

जिला का नाम :

राजपुर

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या :

लामार्थी की आधार संख्या : 360254407111

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.	69/1-70/0	पीपल		80-90		44	टिपिंग	
2.								
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है। वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

for = 20/11/21
(हस्ताक्षर मय नाम)
(मालिक/लामार्थी/प्रतिनिधि)

Manojesh
(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।



पंजाब नेशनल बैंक
पार के भी सुविधा पर
5-17 के अक्षर उभर
प्रारंभिक निष्पत्ति ने
5,00,000/- अर
पंजाब खान 43,
516, 691, 445,

पंजाब नेशनल बैंक
0मर के बन्धक पर दि0
17 के अक्षर इस्तेखार
के लक्ष्य प्रारंभिक
ने अने खता 361
43, 698, 516 खता
050 691 खता 140
445 खता 137
705, 159 खता 359
496, 496 खता 139
491, 486, 688,
398 बन्धक कर
900/- रूप लिया।
90

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड

86

बुक संख्या :

नोटिस संख्या : 3761

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

दिनांक :

लाईन / सेक्शन का नाम :

सेवा में,

नाम शेरजमा राय पिता/पति का नाम इशक
गाँव SARODPUR पोस्ट ऑफिस ब्लॉक/तहसील GAHAMUTBA
जिला HAPUR पिन कोड 245207 मोबाइल संख्या

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्लू, में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण : SHER JAMA

गांव का नाम : सरोदपुर
मंडल/तहसील/सर्कल : GAHAMUTBA
जिला का नाम : HAPUR

लाभार्थी का नाम :

(मालिक/किराएदार/साझा कार्त)

पिता/पति का नाम : ISHAK

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या : 497, 496

लाभार्थी की आधार संख्या : 973936811237

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.	<u>69/1-70/0</u>	<u>लिपटल</u>		<u>150cm</u>		<u>06</u>	<u>ट्रिगिंग</u>	
2.		<u>पापलर</u>		<u>60-70cm</u>		<u>38</u>	<u>ट्रिगिंग</u>	
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।

वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत
for
(हस्ताक्षर मय नाम)
(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

.....
(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

.....
(लेखपाल के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

126.

.....
.....

क क प र C c a c o o

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड

3759

संख्या : 86

नोटिस संख्या :

शान 68 अनुमोदन संदर्भ :

दिनांक :

ईन / सेक्शन का नाम :

में,

राजीव अमी पिता/पति का नाम उमर फारुख

समरपुर पोस्ट ऑफिस ब्लॉक/तहसील 214 मुन्तेश्वर

ना 8145 पिन कोड मोबाइल संख्या

त अधिनियम 2003 की धारा 184 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ कारण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 2.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेंगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्लू. में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व कारण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

त्ती का विवरण :

गांव का नाम : समरपुर

मार्थी का नाम :

मंडल/तहसील/सर्कल : 214 मुन्तेश्वर

लिक/किराएदार/साझा काश्त)

जिला का नाम : 8145

II/पति का नाम :

/प्लॉट/खसरा संख्या : 496

लामार्थी की आधार संख्या : 543941991506

ल का विवरण :

म सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी

का क्षेत्रफल

म सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.	69/1-70/0	फैफलर		80-85 CM		16	टिप्पिंग	
2.								
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।

वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

भस्वीकृत

— साजिद अली
(हस्ताक्षर मय नाम)

Mangesh
(जायीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(लिखपाल के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

लिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

भिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

Each deposit subject to...

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ



पावरग्रिड

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।

86

बुक संख्या :

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

लाईन / सेक्शन का नाम :

सेवा में,

नाम श्री. इलियास

पिता/पति का नाम श्री. जशकाक

गाँव समरपुर

पोस्ट ऑफिस

ब्लॉक/तहसील श्री. मुक्तेरपुर

जिला हाथरस

पिन कोड

मोबाइल संख्या 9837926068

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण :

लाभार्थी का नाम :

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

पिता/पति का नाम :

गाँव का नाम :

समरपुर

संडल/तहसील/सर्कल : श्री. मुक्तेरपुर

जिला का नाम :

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या : 495

फसल का विवरण :

लाभार्थी की आधार संख्या : 376984304790

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्रि.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्रि.	टिप्पणी
1.	<u>69/1-70/0</u>	<u>पेड़</u>		<u>85-90cm</u>		<u>14</u>	<u>टिप्पणी</u>	
2.								
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।
वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

श्री. इलियास

(हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

मंगेश

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड

बुक संख्या : 86
सेक्शन 68 अनुमादन संदर्भ :

नोटिस संख्या : 3753

दिनांक : 22/11/21

लाईन / सेक्शन का नाम :

सेवा में,

नाम गुरुबचन सिंह

पिता/पति का नाम DALIP

गाँव GANDHU NAGLA

पोस्ट ऑफिस

ब्लॉक/तहसील GARN MUKTESHWAR

जिला HAPUR

पिन कोड 245205

मोबाइल संख्या 8171676463

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण :

लाभार्थी का नाम : GURBACHAN SINGH

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

पिता/पति का नाम : DALIP

गाँव का नाम : GANDHU NAGLA

मंडल/तहसील/सर्कल : GARN MUKTESHWAR

जिला का नाम : HAPUR

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या : 67

लाभार्थी की आधार संख्या : 754405799931

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.	7414	खैर	50	2.5m	18cm	01	टि.डि.गि	
2.								
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।
वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

गुरुबचन सिंह (हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

मोहरी (जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)
नाम व मोहर

प्रतिलिपि : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

66 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड

नोटिस संख्या : 2761

दिनांक : 31/1/2022

बुक संख्या :

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

लाइन / सेक्शन का नाम : 400 KV मुरादनगर - सिम्भावली

सेवा में,

नाम

शैलू

पिता/पति का नाम

रामनाथ

गाँव

आखिदपुर कड़ी

पोस्ट ऑफिस

ब्लॉक/तहसील

गढ़ मुं०

जिला

हापुड़

पिन कोड

मोबाइल संख्या

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाइन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू. में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण :

लाभार्थी का नाम :

गाँव का नाम :

आखिदपुर कड़ी

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

मंडल/तहसील/सर्कल :

गढ़ मुं०

पिता/पति का नाम :

जिला का नाम :

हापुड़

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या :

281,325

लाभार्थी की आधार संख्या : 72776310 0082

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
	75/0				

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.	75/0	Poplar		60 cm		4		
2.								
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।
वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

शैलू

(हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

प्रतिलिपि : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

A/c 2270641937

IFSC.Co - CBIN0282374

Mo - 9756865685

9149162256

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ



पावरग्रिड

86 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।

बुक संख्या :

नोटिस संख्या : 3767

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

दिनांक : 16/12/2021

लाईन / सेक्शन का नाम : 400 KV मुरादनगर सिम्भावली

सेवा में,

नाम

अजीजन वैठ

पिता/पति का नाम

मुनाजर अली

गाँव

वैठ

पोस्ट ऑफिस

सिम्भावली

ब्लॉक/तहसील

गढ़ मु.

जिला

हापुड़

पिन कोड

245207

मोबाइल संख्या

9897073750

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण :

लाभार्थी का नाम :

गाँव का नाम :

वैठ

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

मंडल/तहसील/सर्कल :

गढ़ मु.

पिता/पति का नाम :

जिला का नाम :

हापुड़

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या :

1132, 1135

लाभार्थी की आधार संख्या : 723 0488 92043

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्रि.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्रि.	टिप्पणी
1.	74/0-74/1	Poplar		59cm		4		
2.								
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।
वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

(हस्ताक्षर मध्य जर्म)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता/अधिकारी/हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड

बुक संख्या : 86 नोटिस संख्या 3752
 सेक्शन 68 अनुमोचन संदर्भ : दिनांक : 16/1/2021
 लाईन / सेक्शन का नाम : 400 KV मुरादनगर - सिम्भावली
 सेवा में, पिता/पति का नाम : खलील अहमद
 नाम : नसीम ब्लॉक/तहसील : गढ़ मु.
 गाँव : वैठ पोस्ट ऑफिस : मोबाइल संख्या : 9661245788
 जिला : हापुड़ पिन कोड :
 विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 184 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्लू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।
 संपत्ती का विवरण : नसीम गाँव का नाम : वैठ
 लाभार्थी का नाम : खलील अहमद मंडल/तहसील/सर्कल : गढ़ मु.
 (मालिक/किराएदार/साझा काश्त) जिला का नाम : हापुड़
 पिता/पति का नाम :

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या : 1205 लाभार्थी की आधार संख्या : 332012566158
 फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
	74/0-74/1				

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.	74/0-74/1	Poplar	13	95 cm	32m	4	stringing	
2.	74/0-74/1	eucalyptus	12	92 cm	30m	16	stringing	
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।

अभिस्वीकृत

नसीम

(हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

नसीम

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ



पावरग्रिड

75 विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।

नोटिस संख्या :

संख्या :

दिनांक : 3229

11/05/22

केशन 68 अनुमोदन संदर्भ :

लाईन / सेक्शन का नाम : 400KV MRD STM F-L

सेवा में,

नाम LOKENDRA SINGH

पिता/पति का नाम RAJVEER SINGH

गाँव MASURURA

पोस्ट ऑफिस SIMBHAOLE ब्लॉक/तहसील GARNMUKTESHWAR

जिला HARIDWAR

पिन कोड 245207 मोबाइल संख्या 9927512273

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाईन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्ल्यू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण : LOKENDRA SINGH

गाँव का नाम : MASUPUR

लाभार्थी का नाम :

मंडल/तहसील/सर्कल : GARNMUKTESHWAR

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

जिला का नाम : HARIDWAR

पिता/पति का नाम :

लाभार्थी की आधार संख्या : 698375317396

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या :

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.	66/6 - 66/14	SAG-POPULAR	15	1.5 m	9.15 m	2	STR	
2.								
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।
वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

(हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

प्रतिलिपी : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।

बुक संख्या

75

नोटिस संख्या

3229

यह प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ ऊपर लिखित सूचिअनुसार का नोटिस आपको/अपके प्रतिनिधि को पावरग्रिड द्वारा दिया गया।

(हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

पारेषण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र प्रथम

पता : प्लॉट नं. - 01 पाकेट - एन गंगानगर मेरठ

विद्युत अधिनियम 2003 के तहत नोटिस, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के साथ पढ़ा जाए।



पावरग्रिड

86

नोटिस संख्या : 3768

दुक संख्या :

सेक्शन 68 अनुमोदन संदर्भ :

लाइन / सेक्शन का नाम :

सेवा में,

नाम BEER SINGU

गाँव HASUPURA

जिला HAPUR

400 kv Murad Nagar Simbhoali

दिनांक : 23/12/2007

पिता/पति का नाम KETRAM

पोस्ट ऑफिस

ब्लॉक/तहसील GARH MUKTESHWAR

पिन कोड 245207

मोबाइल संख्या 7895705255

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 164 के अनुसार, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय ने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के भाग - 3 के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियों को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पावरग्रिड) को प्रदान किया है। जो कि अधिसूचना सं.एस.ओ. 1463 (ई) के द्वारा 24.12.2003 को भारत के असाधारण अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, ऐसी शक्तियों के प्रयोग हेतु आपको नोटिस दिया गया है कि उपरोक्त उल्लिखित लाइन नीचे दी गई आपकी संपत्ति / संपत्तियों से गुजरेगी। रास्ते में खड़ी फसलों और पेड़ों के नुकसान को कम करने के लिए सभी संभावित प्रयास किये जाएंगे लेकिन लाइन के निर्माण के दौरान आर.ओ.डब्लू में न्यूनतम अपरिहार्य क्षति एवं पेड़ गिर सकते हैं। सभी फसल क्षति / वृक्ष गिरने का राजस्व प्राधिकरण या राज्य सरकार / जिला प्रशासन द्वारा घोषित किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी के आकलन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा।

संपत्ती का विवरण :

गाँव का नाम :

लाभार्थी का नाम :

मंडल/तहसील/सर्कल : GARH MUKTESHWAR

(मालिक/किराएदार/साझा काश्त)

जिला का नाम :

पिता/पति का नाम :

सर्वे/प्लॉट/खसरा संख्या :

750

लाभार्थी की आधार संख्या : 865397862874

फसल का विवरण :

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	फसल का नाम	क्षतिग्रस्त फसल का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी

पेड़ का क्षेत्रफल

क्रम सं.	लोकेशन/सेक्शन	पेड़ की प्रजाति	अनुमानित आयु (वर्ष)	मोटाई (जमीन से एक मीटर ऊपर)	पेड़ की ऊँचाई	संख्या	कार्य फा./ई./स्ट्र.	टिप्पणी
1.	6515-6610	POPULAR		55cm	20m	2	STR	
2.				65cm	30m	3	STR	
3.								
4.								
5.								

• अधिक पेड़ होने की स्थिति में अलग से सारणी लगाई जा सकती है।
वास्ते पावर ग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रान्समिशन लिमिटेड

अभिस्वीकृत

(हस्ताक्षर मय नाम)

(मालिक/लाभार्थी/प्रतिनिधि)

(जारीकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(कार्यपालक के प्रति हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

(लेखपाल के हस्ताक्षर)

नाम व मोहर

प्रतिलिपि : स्थानीय / सम्बंधित राजस्व अधिकारी

प्रारंभिक आकलन के आधार पर। मुआवजा भुगतान वास्तविक क्षतिग्रस्त फसल एवं पेड़ के अनुसार किया जाएगा।